भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3304

09 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

तुलसीडामर डोलोमाइट खान

3304. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि झारखंड के गढ़वा जिले में सेल द्वारा संचालित की जाने वाली तुलसीडामर डोलोमाइट खान पट्टे का नवीनीकरण न होने के कारण बंद हो गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त खान के बंद होने से पहले वहाँ काम करने वाले 730 मजदूरों ने उक्त खान में बी-फार्मा के अंतर्गत पंजीकरण कराया था और उनके पूर्व कार्यकाल के लिए उन्हें भुगतान जारी नहीं किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन बेरोजगार मजदूरों को नियोजित करने और उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): जी नहीं। झारखंड के गढ़वा जिले में सेल द्वारा संचालित तुलसीडामर डोलोमाइट खदानों का प्रचालन निलंबित/बंद हो गया था क्योंकि झारखंड सरकार ने दिनांक 16.02.2020 से जेआईएमएमएस पोर्टल पर "पारगमन चालान" जारी करना बंद कर दिया था, जबकि खनन पट्टा उस समय (दिनांक 31.03.2020 तक) वैध था।

(ख): पूर्ण और अंतिम परिनिर्धारण के भुगतान के लिए, प्रबंधन और श्रमिकों, जिनका प्रतिनिधित्व मौजूदा श्रम संघों नामतः एनएमडीसी माइन्स वर्कर्स यूनियन (एआईटीयूसी से संबद्ध), बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (आईएनटीयूसी से संबद्ध) और पलामू प्रमंडल खान मजदूर संघ (एचएमएस से संबद्ध) द्वारा किया जा रहा था, के बीच दिनांक 28 जनवरी, 2022 को पटना में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 18(1)घ के तहत पारस्परिक सहमति से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केन्द्र सरकार श्रम प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 28.01.2022 की सुलह की कार्यवाही के अनुसरण में, पूर्ण और अंतिम परिनिर्धारण हेतु भुगतान संविदागत श्रमिकों के नियोक्ता यानी ठेकेदारों द्वारा फॉर्म "ख" के तहत पंजीकृत संविदागत श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे किया गया है।

(ग) और (घ): उपरोक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

****